छत्तीसगढ़ विधान सभा

दिसम्बर, 2024 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 (अग्रहायण 25,1946)

समय 11:00 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

(1) श्रीयुत श्रीगोपाल व्यास, राज्य सभा के पूर्व सांसद।

(2) श्री नंदाराम सोरी, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य।

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार :-

(i) छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024) दिनांक 30 अक्टूबर, 2024,

(ii) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) दिनांक 30 अक्टूबर, 2024,

(iii) छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 4 सन् 2024) दिनांक 3 दिसम्बर, 2024 तथा

(iv) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024) दिनांक 3 दिसम्बर, 2024 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री रामविचार नेताम, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 (1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023) पटल पर रखेंगे।

(3) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार :-

(i) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2023-2024 तथा

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित का अंकेक्षण टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2023-2024 पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

(4) श्री श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम, 2010 (क्रमांक 23 सन् 2010) की धारा 18 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 1–29/2015/17–1, दिनांक 29 अगस्त, 2024 पटल पर रखेंगे।

4. जुलाई, 2024 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

5. नियम 267–क के अधीन जुलाई, 2024 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

6. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

7. सभापति तालिका की घोषणा

8. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री अजय चंद्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) डॉ. चरणदास महंत, सदस्य, प्रदेश में बारदाना खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

9. वित्तीय वर्ष 2024–2025 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री ओ.पी चौधरी, वित्त मंत्री, वित्तीय वर्ष 2024–2025 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 15 दिसम्बर, 2024